राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.

dirminority@gmail.com दूरभाष न.:0141–2711978, 2711938

क्रमांक :– प.106 / नि.अ.मा.वि. / नव रा.छात्रा. / पद सृजन / 2016–17 / जयपुर, दिनांकः

आदेश

वित्तीय वर्ष 2019–20 की अवधि में अल्पसंख्यक बालक छात्रावास सम (जैसलमेर) तथा बालिका छात्रावास सम (जैसलमेर), का संचालन दिनांक 01.07.2019 से करने तथा उक्त छात्रावासों के संचालन हेतु आवश्यक सामग्री **(आवर्तक / अनावर्तक)** क्रय करने के लिये जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जैसलमेर को बालक छात्रावास हेतु लेखाशीर्ष 2225–04–277–(01)–[09] (राज्य निधि) तथा बालिका छात्रावास हेतु लेखाशीर्ष 2225–04–277–(01)–[03] (राज्य निधि) के अन्तर्गत विभिन्न उप–मदों में स्वीकृत संख्यानुसार बजट राशि के हस्तान्तरण की स्वीकृति निम्नानुसार एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

अल्पसंख्यक बालक छात्रावास सम (जैसलमेर):– लेखाशीर्ष 2225–04–277–(01)–[09]

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	उपमद	विवरण	राशि	संख्या
1	01–संवेतन	छात्रावास अधीक्षक वेतन	0.50	01
2	05–कार्यालय व्यय	फर्नीचर / पंलग / खाने व खाना बनाने के बर्तन आदि छात्रावास संचालन हेतु आवश्यक सामग्री / सीलिंग फैन / बिजली–पानी कनेक्शन / गैस कनेक्शन / टेलीफोन कनेक्शन आदि एवं रसोईया / चौकीदार / सफाईकर्मी	3.50	सुलभ संदर्भ हेतु सूची संलग्न है।
3	58–कपडे बिस्तर	गद्दे / बेडशीट / कम्बल / दरी / तकिया / ड्रेस आदि	1.20	स्वीकृत छात्र संख्या / नोर्म्स अनुसार
4	61–खाद्य सामग्री	भोजन सामग्री / साबुन / तेल आदि	0.50	स्वीकृत छात्र संख्या / नोर्म्स अनुसार
		योग	5.70	

अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास सम (जैसलमेर):– लेखाशीर्ष 2225–04–277–(01)–[03]

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	उपमद	विवरण	राशि	संख्या
1	01–संवेतन	छात्रावास अधीक्षक वेतन	0.50	01
2	05–कार्यालय व्यय	फर्नीचर / पंलग / खाने व खाना बनाने के बर्तन आदि छात्रावास संचालन हेतु आवश्यक सामग्री / सीलिंग फैन / बिजली–पानी कनेक्शन / गैस कनेक्शन / टेलीफोन कनेक्शन आदि एवं रसोईया / चौकीदार / सफाईकर्मी	3.50	सुलभ संदर्भ हेतु सूची संलग्न है।
3	58–कपडे बिस्तर	गद्दे / बेडशीट / कम्बल / दरी / तकिया / ड्रेस आदि	1.20	स्वीकृत छात्र संख्या / नोर्म्स अनुसार
4	61–खाद्य सामग्री	भोजन सामग्री / साबुन / तेल आदि	0.50	स्वीकृत छात्र संख्या / नोर्म्स अनुसार
		योग	5.70	

कृ.प.उ.

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 161900657 दिनांक 05.07.2019 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

शर्तें:–

1. क्रय RTPP अधिनियम 2012, RTPP नियम 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के प्रावधानों के अनुसार किया जावें।
2. क्रय विभागीय मापदण्डों के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए किया जावें।
3. छात्रावास संचालन/सामग्री क्रय की समस्त कार्यवाही सम्पन्न कर निदेशालय को अवगत कराया जावे।
4. क्रय छात्रावासों का कब्जा लेने के पश्चात किया जावें।

उक्त छात्रावासों हेतु छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II तथा जॉब बेसिस पर अनुमत कार्य सफाई, सुरक्षा एवं खाना बनाना की स्वीकृति संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग की आज्ञा क्रमांक 00844 दिनांक 25.07.2019 द्वारा प्रदान की गयी है, जिसकी प्रतिलिपि सलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

-sd-

निदेशक

क्रमांक :– प.106/नि.अ.मा.वि./नव रा.छात्रा./पद सृजन/2016–17/ 7686–96 जयपुर, दिनांक: 8/8/19

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ् विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, कार्यालय प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 161900657 दिनांक 05.07.2019 के अनुसरण में।
4. महालेखाकर (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. कोषाधिकारी, कोषालय, जैसलमेर।
7. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी (लेखा एवं हक), शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जैसलमेर को पालनार्थ।
9. लेखाधिकारी/लेखाशाखा कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार बजट आवंटन करें।
10. सूचना सहायक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली कार्यालय हाजा।

अतिरिक्त निदेशक

राजस्थान सरकार

अल्पसंख्यक मामलात् एवं वक्फ विभाग

क्रमांक प.19(12)अल्प.वक्फ/2019/RK/00844 जयपुर दिनांक 25.07.2019

—: आज्ञा :—

अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के अधीन पीएमजेवीके योजना के तहत पीएमजेवीके योजना के चयनित ब्लॉक सम (जैसलमेर) हेतु—

नवनिर्मित बालक एवं बालिका छात्रावास (50 बैडेड) हेतु निम्नलिखित संम्मुख अंकित नवीन पद सृजन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

लेखाशीर्ष	छात्रावास का नाम	नियमित पद का सृजन	संख्या
2225—04—277(01)[03]—01 (राज्य निधि)	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास सम (जैसलमेर)	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड—II L-5	01
2225—04—277(01)[09]—01 (राज्य निधि)	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास सम (जैसलमेर)	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड—II L-5	01

उक्त नवसृजित पद उक्त छात्रावासों का विभाग द्वारा कब्जा लेने के पश्चात् भरे जायेगें।

नवीन छात्रावासों के निम्नांकित कार्य Job basis (Outsource of work) पर निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

लेखाशीर्ष	छात्रावास का नाम	जॉब बेसिस पर अनुमत कार्य
2225—04—277(01)[03]—05 (राज्य निधि)	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास सम (जैसलमेर)	सफाई, सुरक्षा एवं खाना बनाना
2225—04—277(01)[09]—05 (राज्य निधि)	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास सम (जैसलमेर)	सफाई, सुरक्षा एवं खाना बनाना

शर्ते :—

1.

i. उक्त कार्य हेतु किसी भी स्थिति में सीधे रूप से व्यक्तियों की सेवाएं नही ली जावेगी, ना ही व्यक्तियों को एजेन्सी के माध्यम से अनुबंधित किया जायेगा।

ii. जॉब पर कराये जाने वाले कार्य का निर्धारण/विवरण (Scope of work) का स्पष्ट विवरण अंकित करते हुए विभाग RTPP Act 2012 & Rule 2013 के प्रावधान एवं प्रकियाओं की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगा।

iii. व्यय उपलब्ध बजट प्रावधान की सीमा में ही रखा जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

iv. स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्व उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी।

v. वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र संख्या—1 दिनांक 30.04.2018 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

vi. उक्त कार्य विभाग द्वारा उपर्युक्त अंकित छात्रावासों का कब्जा लेने के पश्चात् कराये जा सकेंगे।

2. उक्त छात्रावासों के लिए विभागीय मापदण्डों के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नवीन मद RTTP Act 2012 & Rule 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए क्रय करने हेतु वित्त विभाग की सहमति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त सहमति उपलब्ध बजट प्रावधान के तहत दी जा रही है, यदि अतिरिक्त बजट प्रावधान आवश्यक हो तो अन्य लेखाशीर्ष में बचत चिन्हित कर पुनर्विनियोजन के मांध्यम से अतिरिक्त बजट प्रावधान उपलब्ध कराने के प्रस्ताव भिजवाये जा सकते है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय—2) विभाग की आई.डी क्रमांक 161900657 दिनांक 05.07.2019 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण एवं सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी की जाती है।

25.7.19

(नीलिमा तक्षक)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग।
2. निजी सचिव, राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग को आपके आई.डी. कमांक 161900657 दिनांक 05.07.2019 के कम में।
6. रक्षित पत्रावली।

(रमेश चन्द परेवा)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.
dirminority@gmail.com दूरभाष न.:0141–2711978, 2711938

क्रमांक :– प.106 / नि.अ.मा.वि. / नव.रा.छात्रा. / पद सृजन / 2016–17 / पार्ट / 7197-209 जयपुर, दिनांक 1/8/19

प्रतिलिपि– निम्न को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सहायक, निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग।
3. उपनिदेशक प्रथम, द्वितीय, पीएमजेवीके, अल्पसंख्यक मामलात विभाग।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग।
5. सहायक निदेशक, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, अल्पसंख्यक मामलात विभाग।
6. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जैसलमेर को पालनार्थ।
7. कोषाधिकारी, कोषालय, जैसलमेर।
8. सूचना सहायक को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

31.7.19
(डॉ. गुंजन सोनी)
अतिरिक्त निदेशक

अल्पसंख्यक बालक छात्रावास सम (जैसलमेर) तथा बालिका छात्रावास सम (जैसलमेर), हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक सामग्री की सूची

क्र. स.	नया आईटम	साईज	संख्या / नग	
			सम (50 बैडेड बालक)	सम (50 बैडेड बालिका)
1	स्टील की अलमारी छोटी (रूम के लिये)	एक लॉकर 20 गेज तीन सेल्फ1280X760X430mm	50	50
2	स्टील स्टूडेंट टेबल सनमाईका टॉप (रूम के लिये)	(2'x1.5'x2.5')	50	50
3	एस टाईप चेयर स्टील हाफ हत्था सीट पीठ-कैन (रूम के लिये)	16"x17"x32"	50	50
4	स्टील कोट (पलंग) 12MM प्लाई टोप (रूम के लिये)	6'x3'x1.5'	51	51
5	नेस्टींग थ्री शीटर	स्टील (250)	2	2
6	कैप्सूल पाईप चेयर सी.पी. पोलिश लकड़ी हत्थेदार (वार्डन रूम हेतु)	–	2	2
7	G.I. बक्शा	6'x3'x2.5'	2	2
8	ऑफिस टेबल एक तरफ कप बोर्ड एक दराज दूसरी तीन दराज माईका टाप मय की बोर्ड ट्रे 19MM बोर्ड व माईका फिनिश (वार्डन रूम हेतु)	6'x4'x2.5'	1	1
9	डाईनिंग टेबल सनमाईका टोप (मेस हेतु)	4x2.5	8	8
10	TV LED	55"	1	1
11	फ्रीज बडा साईज किचन के लिए (50 आवासियों के लिए संचालित मैस)	आवश्यकतानुसार	1	1
12	गद्दे (कॉटन) 5 किलो	90cm x 180 cm	51	51
13	बेड शीट (कलर्ड / प्रींटेड)	152cm x 230cm	102	102
14	ब्लेंकेट	152cm x 230 cm	51	51
15	दरी	244cm x 36cm	2	2
16	बर्तन	For Two Hostels	सूची अनुसार	सूची अनुसार
17	तकिया (कॉटन)	40cm x 60cm	51	51
18	तकिया कवर	41cm x 65cm	51	51
19	खेस	4x6.6	51	51
20	गैस कनेक्शन	Gas Connection	1	1
21	वाटर कूलर (50 आवासियों के लिए संचालित मैस)	आवश्यकतानुसार	1	1
22	आर.ओ. (50 आवासियों के लिए संचालित मैस)	आवश्यकतानुसार	1	1

कृ.प.उ.

अतिरिक्त निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
राजस्थान, जयपुर

बालक एवं बालिका छात्रावास प्रत्येक हेतु आवश्यक बर्तनों की सूची (मैस का सामान)

क्र. स.	सामान का नाम	बालक एवं बालिका छात्रावास हेतु संख्या / नग	
		सम (50 बैडेड बालक)	सम (50 बैडेड बालिका)
1	परात बड़ी (20 किग्रा की) (स्टील)	1	1
2	भगोना (20 किग्रा का) (एल्मुनियम)	2	2
3	भगोना (10 किग्रा का) (एल्मुनियम)	2	2
4	बड़ा चम्मच (सब्जी हेतु) (स्टील)	2	2
5	चिमटा बड़ा (लोहे का)	2	2
6	चकला बेलन	2	2
7	गैस भट्टी	2	2
8	तवा बड़ा (लोहे का)	1	1
9	जग (स्टील)	4	4
10	पतीले (धामा) (स्टील)	6	6
11	कड़ाही बड़ी (लोहे की) (5 किग्रा)	1	1
12	खुरपा (स्टील / लोहा)	2	2
13	ड्रम लोहे का बड़ा (आटा हेतु) (100 किग्रा)	1	1
14	स्टील डब्बे (मसाले हेतु 4लीटर के) (4 किग्रा)	6	6
15	सागदान (स्टील)	2	2
16	गंगा सागर (2 लीटर)	4	4
17	टंकी स्टील पानी हेतु बड़ी (100 लीटर)	1	1
18	तेल डब्बा 10 लीटर	1	1
19	पल्टे / पंजे (स्टील)	4	4
20	प्रेशर कुकर 20 लीटर	1	1
21	बाल्टी स्टील 20 लीटर	2	2
22	आटा छलनी	2	2
23	सब्जी काटने के चाकू	5	5
24	नमक दानी	6	6

छात्रावासियों हेतु सामान

क्र. स.	सामान का नाम	छात्रावास हेतु नग / संख्या	
		सम (50 बैडेड बालक)	सम (50 बैडेड बालिका)
1	थाली (स्टील)	51	51
2	कटोरी (स्टील)	102	102
3	टी स्पून	102	102
4	लोटे (स्टील)	8	8
5	क्वाटर प्लेट नाश्ता हेतु	51	51
6	कप पलेट	55	55
7	चाय केतली	2	2
8	चाय टंकी मिडियम साईज (स्टील की 15 लीटर)	1	1
9	गिलास (स्टील)	60	60

अतिरिक्त निदेशक
अल्पसंख्यक मामलात विभाग
राजस्थान, जयपुर